विभागीय लोकशाही दिन में 10 मामलों की सुनवाई

दाखिल मामलों पर तत्काल कार्रवाई करके अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें : विभागीय आयुक्त

प्रतिनिधि/प्रतिदिन अखबार अमरावती, 9 फरवरी- विभागीय लोकशाही दिन में दाखिल होनेवाले मामलों पर निर्धारित समय में कार्रवाई करके अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें. पिछले प्रलंबित मामले नए लोकशाही दिन में न आए, आगामी लोकशाही दिन के पहले ही पिछले मामलों का निपटारा करके मामले बंद किए जाए, ऐसे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ.श्वेता सिंघल ने संबंधित विभाग प्रमुखों को दिए. लोकशाही दिन में दाखिल कुल 10 मामलों पर चर्चा करके उनसे संबंधित आवश्यक कार्रवाई करने की सूचना भी उन्होंने संबंधित विभागों को दी. विभागीय आयुक्तालय के सभागृह में डॉ.श्वेता सिंघल की अध्यक्षता में लोकशाही दिन का कामकाज सोमवार को संपन्न हुआ. इस अवसर पर अपर आयुक्त संजय जाधव, उपायुक्त संजय कवड़े, उपायुक्त राजू खड़के सहित राजस्व, पुलिस, महापालिका, सहकार, कृषि, सिंचाई व भूजल विभाग के अधिकारी इसी प्रकार पांचों जिलों के जिलाधिकारी व संबंधित अधिकारी ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से इस अवसर पर बैठक में उपस्थित थे. इस प्रसंग पर विभागीय लोकशाही दिन में दाखिल कुल 10 मामलों पर चर्चा की गई तथा 2 मामले निपटा दिए गए. शेष मामलों पर 15 दिनों में आवश्यक कार्रवाई करके अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सूचना डॉ.श्वेता सिंघल ने संबंधित विभाग प्रमुखों को दी. विभागीय लोकशाही दिन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कुल 10 मामलों पर लोकशाही दिन में चर्चा की गई. ये मामले तत्काल निपटाने के लिए संबंधित विभागों ने स्पॉट निरीक्षण, मुद्देनिहाय जांच-जांच पड़ताल करके सुस्पष्ट अंतिम रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत की जाए, ऐसे निर्देश विभागीय आयुक्त ने बैठक में दिए. विभागीय महिला लोकशाही दिन के अंतर्गत एक भी मामला दाखिल नहीं हुआ. ऐसी जानकारी महिला व बालविकास विभाग द्वारा दी गई. इस अवसर पर लोकशाही दिन के लिए अमरावती विभाग से उपस्थित रहनेवाले शिकायतकर्ताओं का कहना सुना गया. पिछले लोकशाही दिन के प्रलंबित मामले नए लोकशाही दिन में सुनवाई के लिए न आए. लोकशाही दिन के लिए दाखिल होने वाले शिकायत आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभागों को जिम्मेदारीपूर्वक प्रयास करने की सूचना विभागीय आयुक्त डॉ.श्वेता सिंघल ने इस अवसर पर दी.

बाढ़ पीड़ितों से पुनर्वसन में ली गई थी जमीन

16 साल बाद मिला मुआवजा

न्यायालय ने किराया, ब्याज व हजार्ना देने का दिया आदेश

प्रतिनिधि/प्रतिदिन अखबार अमरावती, 9 फरवरी वर्ष 2007 में पेढी नदी में आई भीषण बाढ़ से मौजे पुसदा, तहसील एवं जिला अमरावती के लगभग 100 परिवार बेघर हो गए थे. बाढ़ पीड़ितों के अस्थायी पुनर्वसन के लिए जिलाधिकारी, अमरावती ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कृषक श्रीकृष्ण रामचंद्र चिमोटे की स्वामित्व वाली कृषि भूमि अधिग्रहित की थी.

सरकार ने उक्त भूमि का उपयोग चार वर्षों (2007 से 2011) तक किया, लेकिन भूमि वापस करने के बाद भी निर्धारित किराया लंबे समय तक अदा नहीं किया गया. लगातार आवेदन, पत्राचार और व्यक्तिगत अनुवर्तन के बावजूद भुगतान न मिलने पर अंततः श्रीकृष्ण चिमोटे को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी. वर्ष 2024 में उन्होंने अधिवक्ता एड. सत्यजीतसिंह वी. रघुवंशी के माध्यम से दीवानी दावा दायर किया.करीब 16 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद सह दिवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर), अमरावती ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार, कलेक्टर एवं तहसीलदार को संयुक्त रूप से 2,44,200 रुपए का किराया, उस पर वर्ष 2011 से भुगतान की तिथि तक 8% वार्षिक ब्याज तथा मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना के लिए 50,000 रुपए का हजार्ना और उस पर भी 8% वार्षिक ब्याज तीन माह के भीतर अदा करने का आदेश दिया है.

यह निर्णय प्रशासनिक लापरवाही के विरुद्ध नागरिकों के वैध अधिकारों की सशक्त पुष्टि माना जा रहा है. वादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता सत्यजीतसिंह वी. रघुवंशी (श्रीकृष्णपेठ, अमरावती) ने की, जिनकी प्रभावी दलीलों के आधार पर न्यायालय ने सरकार की जिम्मेदारी तय की है.

राज्यस्तरीय उपवर-वधु परिचय सम्मेलन 15 को

भीमा कोरेगांव मानवंदना आयोजन समिति सदस्यों का होगा सम्मान

कैलाश मोरे ने दी जानकारी

प्रतिनिधि/प्रतिदिन अखबार अमरावती, 9 फरवरी- प्रज्ञावंत वधु-वर सुचक केंद्र द्वारा राज्यस्तरीय उपवधु वर परिचय सम्मेलन का आयोजन रविवार, 15 फरवरी को सुबह 11 से शाम 5 बजे तक भीमटेकड़ी परिसर के संबोधी हॉल में किया है. इस परिचय सम्मेलन में अब तक पंजीकृत 600 में से करीब 400 युवक-युवती सहभागी होंगे, यह जानकारी आयोजन समिति प्रमुख कैलाश मोरे ने दी. स्थानीय मराठी पत्रकार भवन में सोमवार को आयोजित प्रेसवार्ता में जानकारी देते हुए कैलाश मोरे ने बताया कि समय के साथ परिचय सम्मेलन की आवश्यकता बढने लगी है. अब सैकड़ों युवक-युवती अपने जीवनसाथी का चयन करने ऐसे सम्मेलनों की तलाश करते है. इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रज्ञावंत वधु-वर सुचक केंद्र ने इस परिचय सम्मेलन का आयोजन किया है. जिसमें पिछले वर्ष 400 से अधिक ने सहभागी होकर अपने लिए योग्य वधु तथा वर का चयन किया. इस परिचय सम्मेलन में आये 57 युवक-युवतियों ने अपना उचित वर-वधु का चयन कर विवाहबद्ध हुए है. इस बार यह संख्या 100 तक पहुंचे ऐसा मानस है. इस वर्ष भी करीब 600 युवक-युवतियों ने अपना पंजीयन कराया है. और भी युवक -युवती अपना पंजीयन करवा रहे है. जिसमें डॉक्टर, इंजिनियर्स, वकील, सरकारी नौकरी, अर्धसरकारी नौकरी, उद्योजक, किसान, पत्रकार, तलाकशुदा, विधवा, दिव्यांग युवक-युवतियों का समावेश होगा. उनकी मंच पर उपस्थिति के साथ उनका बायोडाटा एलईडी स्क्रीन पर भी दिखाया जाएगा. जिन माता-पिता को अपने बच्चों के लिए उचित वर अथवा वधु पसंद आएगी उन्हें काउंसिलिंग की व्यवस्था भी की जाएगी. साथ ही जो परिवार अपने बच्चों का विवाह सम्मेलन में जोड़कर सगाई की तारीख तय करेंगे उन्हें भी सहयोग दिया जायेगा. इस कार्यक्रम में 300 से अधिक युवक युवती की उपस्थिति रहने की संभावना है. पंजीकृत युवक युवतियों को ही इस कार्यक्रम में प्रवेश होगा. अन्य कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा. पंजीयन के लिए इच्छुक 8007313437 पर संपर्क कर सकते है. इसके अलावा प्रज्ञावंत वधु-वर सुचक केंद्र की ओर से भीमा कोरेगांव मानवंदना आयोजन समिति के सदस्यों को भी सम्मानित किया जाएगा.

प्रेसवार्ता में धनंजय गुलदेकर, कपिल धवणे, कांचन आडोले, सतीश नाईक, सुशीला नागदिवे, सरला इंगले, लता गजभिये, विजय कांबले, साहिल नवाड़े, कृष्णराव वानखड़े, देवेंद्र खांडेकर, रवि नागले, भाऊराव दंडाले, सिद्धार्थ शेंडे, कैप्टन कमलेश्वर दाभाड़े, गौतम बनसोड़, मंगेश तायड़े, सुमेध कांबले समेत अन्य शामिल थे.

जिले में 'महारेशीम अभियान 2026' का शुभारंभ

800 एकड़ में रेशम खेती का लक्ष्य

प्रतिनिधि/प्रतिदिन अखबार अमरावती, 9 फरवरी- जिले में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'महारेशीम अभियान 2026' का शुभारंभ जिलाधिकारी आशीष येरेकर के हस्ते किया गया. इस अवसर पर उन्होंने रेशम रथ को हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरूआत की और रेशम उद्योग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली. प्रशासन का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है.

वर्ष 2026-27 के लिए जिले में कुल 800 एकड़ क्षेत्र में रेशम खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसमें कृषि विभाग द्वारा 300 एकड़, रेशम विभाग द्वारा 250 एकड़ तथा जिला परिषद द्वारा 250 एकड़ क्षेत्र में तुती की लागवड़ की जाएगी. इच्छुक किसानों को 4 फरवरी से 5 मार्च तक 'आपले सरकार' पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन करना अनिवार्य है. पंजीयन की प्रति जिला रेशम कार्यालय में जमा करनी होगी तथा प्रति एकड़ 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा.योजना का लाभ लेने के लिए किसान जॉब कार्डधारक होना, सिंचाई सुविधा उपलब्ध होना और एक गांव से कम से कम पांच लाभार्थी होना आवश्यक है. आवेदन के साथ सातबारा, आधार कार्ड, बैंक पासबुक व अन्य दस्तावेज संलग्न करने होंगे. मग्रारोहयो अंतर्गत तीन वर्षों के लिए मजदूरी व सामग्री हेतु 4.32 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता दी जाएगी. अधिक जानकारी के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने का आवाहन किया गया है.

अमरावती, तिवसा, अचलपुर और अंजनगांव सुर्जी क्षेत्र के किसान डी. एच. नागोलकर से मोबाइल नंबर 9527934573 पर संपर्क कर सकते हैं. मोर्शी, वरूड़, चांदूर बाजार और धामणगांव रेलवे क्षेत्र के लिए एस. बी. भोयर से 9372791626 पर संपर्क किया जा सकता है. वहीं नांदगांव खंडेश्वर, चांदूर रेलवे, भातकुली, चिखलदरा तथा धारणी क्षेत्र के किसानों को एस. एम. देठे से 8830593459 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है.

प्रियंका गोवारे को अष्टांग योग में पीएच.डी. की उपाधि

अमरावती,वारे को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (ढँ.ऊ) की उपाधि प्रदान की है. उनकी थीसिस ₹विभिन्न ध्यान पद्धतियों का शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में समालोचनात्मक अध्ययन₹ को यूजीसी दिशानिर्देश-2022 के अनुसार स्वीकृत किया गया.श्रीमती गोवारे ने 5 जनवरी, 2023 को पंजीकरण कराया था और जनवरी 2026 में शोध प्रबंध सफलतापूर्वक पूर्ण किया, उनकी गाइड डॉ. वनिता चंद्रात्रे और बाहरी परीक्षक डॉ. प्रद्युम्न सिंह शेखावत रहे, इस उपलब्धि का उद्देश्य योग शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान पद्धतियों के प्रभावों पर गहन अध्ययन प्रस्तुत करना है. उपाधि प्रदान समारोह 28 फरवरी को लकुलीश योग विश्वविद्यालय, जाखन आश्रम, अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रियंका सागर गोवारे को सम्मानित किया जाएगा. इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिवार और शुभचिंतक उन्हें बधाई दे रहे हैं.

सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर युवा बनें रोजगार देने वाले - जिलाधिकारी आशीष येरेकर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार व स्नेहसम्मेलन संपन्न, 42 उम्मीदवारों का चयन

प्रतिनिधि/प्रतिदिन अखबार अमरावती, 9 फरवरी- वर्तमान प्रतिस्पर्धी दौर में युवाओं को केवल नौकरी की तलाश में नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने कौशल के आधार पर रोजगार देने वाले उद्यमी बनना चाहिए, ऐसा आवाहन जिलाधिकारी आशीष येरेकर ने किया. वे जिला कौशल विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र तथा मॉडल करियर सेंटर द्वारा आयोजित 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार सम्मेलन व स्नेहसम्मेलन' के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि युवा केवल डिग्री पर निर्भर न रहें, बल्कि कौशल विकास पर जोर दें. शुरूआत में वेतन से अधिक अनुभव को महत्व दें और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर स्वयं का उद्योग स्थापित करें.

मेले में लेक्साकेम ऑर्गेनिक, जाधव गियर्स और अर्थ वे टेक्नॉलॉजी सहित 6 कंपनियों ने भाग लिया. 63 रिक्त पदों के लिए 126 उम्मीदवारों ने पंजीयन किया था, जिनमें से 42 उम्मीदवारों का प्राथमिक चयन किया गया. 8 उम्मीदवारों को तत्काल नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए. स्नेहसम्मेलन में 103 युवाओं ने सहभाग लिया. इस अवसर पर सफल प्रतिभागियों का सम्मान भी किया गया.

भूमि अभिलेख विभाग का जनसंवाद अभियान 20 से

नागरिकों से लाभ लेने की अपील

प्रतिनिधि/प्रतिदिन अखबार अमरावती, 9 फरवरी- नागरिकों की शिकायतों का त्वरित निवारण तथा 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान' के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु भूमि अभिलेख विभाग द्वारा तहसीलस्तरीय जनसंवाद एवं शिकायत निवारण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. संशोधित कार्यक्रम के अनुसार यह अभियान 20 फरवरी से प्रारंभ होगा.इस जनसंवाद कार्यक्रम में नागरिकों की व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक शिकायतें, विभिन्न विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति, लंबित प्रस्ताव तथा स्थानीय स्तर के महत्वपूर्ण मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी. कार्यक्रम के दौरान तहसील स्तर पर जिला परिषद सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, ग्राम राजस्व अधिकारी, ग्राम सचिव और कृषि सहायक उपस्थित रहेंगे, जिससे मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया जा सके.

प्रशासन द्वारा तहसीलनिहाय समन्वयक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है. कार्यक्रम की समय-सारिणी इस प्रकार है - 20 फरवरी को सुबह 10 से 1.30 बजे तक मोर्शी तथा दोपहर 3 से 6 बजे तक वरूड़, 23 फरवरी को चांदूर बाजार, 26 फरवरी को सुबह दर्यापुर और दोपहर अंजनगांव, 27 फरवरी को चिखलदरा, 2 मार्च को सुबह अमरावती तथा दोपहर भातकुली और 6 मार्च को धारणी में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. जिला अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय के महेशकुमार शिंदे ने नागरिकों से इन जनसंवाद कार्यक्रमों में अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर अपनी समस्याएं और सुझाव प्रस्तुत करने का आग्रह किया है, ताकि प्रशासनिक सेवाएं अधिक पारदर्शी और प्रभावी बन सकें.

सचिन भोपाले द्वारा लगाये गये सभी आरोप बेबुनियाद

प्रफुल्ल बारई ने कहा

मैंने पालकमंत्री से लेकर बिना रॉयल्टी रेत घाट से जाने वाली गाड़ियों पर रोक लगाने हेतु सौंपा था ज्ञापन

प्रतिनिधि/प्रतिदिन अखबार अमरावती, 9 फरवरी- बोरमाला, हल्दा, जुनगांव, विठ्ठलवाडा और सोमनपल्ली रेत घाटों से बिना रॉयल्टी चलने वाली गाड़ियों को बंद करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने के बाद भी शहर में रेत परिवहन विवाद गहराता जा रहा है. मैंने स्वयं पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को ज्ञापन सौंपकर इन घाटों से बिना रॉयल्टी चलने वाली गाड़ियों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे रॉयल्टी भरकर काम करने वालों को नुकसान हो रहा है, इस बात से अवगत कराया था. लेकिन अब मुझे ही टार्गेट किया जा रहा है. यह बात प्रफुल बारई ने कही.

स्थानीय श्रमिक पत्रकार भवन में सोमवार को आयोजित प्रेसवार्ता में जानकारी देते हुए प्रफुल बारई ने कहा है कि ज्ञापन में मध्यप्रदेश से आने वाली रेत गाड़ियों का कोई उल्लेख नहीं किया था. हाल ही में सचिन भोपाले द्वारा पत्रकार परिषद में मुझ पर जो आरोप लगाये थे. वह बेबुनियाद है. सचिन भोपाले ने पालकमंत्री से शिकायत कर मध्यप्रदेश से रोजाना अमरावती आने वाली करीब 450 गाड़ियों को बंद करने की मांग की और अधिकारियों के साथ सांठगांठ होने तथा तबादले कराने के लिए पैसे लेने की बात कही थी. जबकि मैंने किसी भी अधिकारी से इस प्रकार की कोई बात नहीं की और न ही किसी से पैसे की मांग की है. मैं स्वयं सभी रेत घाटों पर पूरी रॉयल्टी देकर काम करता हूं और किसी भी अधिकारी को एक रुपया तक नहीं देता. अमरावती शहर और ग्रामीण क्षेत्र में बिना रॉयल्टी तथा कथित 'सुपर एंट्री' के माध्यम से चलने वाली गाड़ियों से अवैध वसूली का एक नेटवर्क चल रहा था, जिसमें प्रति माह शहर और ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी रकम जमा की जाती थी. यह अवैध वसूली बंद होने के बाद ही उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए. कुछ वाहन मालिकों के फोन कॉल और रिकॉर्डिंग उनके पास हैं, जिनमें कथित एंट्री वसूली का जिक्र है. संबंधित ऑडियो-वीडियो और जानकारी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकु ले, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेज दी है. साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. सचिन भोपाले और अमरावती ग्रामीण एलसीबी के एक अधिकारी के खिलाफ ईडी जांच की मांग भी की है. यह बात भी उन्होंने इस प्रेसवार्ता के माध्यम से स्पष्ट की.

परीक्षा केंद्रों के आस-पास जेरॉक्स दुकानें रहेंगी बंद

नकलमुक्त परीक्षा के लिए राज्य बोर्ड तैयार, संवेदनशील केंद्रों पर रहेगी उड़नदस्तों की नजर

प्रतिनिधि/प्रतिदिन अखबार अमरावती, 9 फरवरी- मुंबई. राज्य में दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं नकल-मुक्त, पारदर्शी और तनाव-मुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस वर्ष कड़ी प्रशासनिक व्यवस्था तैयार की है. परीक्षा केंद्रों के आसपास होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए प्रत्येक केंद्र के 500 मीटर के दायरे में स्थित सभी जेरॉक्स दुकानें परीक्षा अवधि के दौरान बंद रखने का निर्णय लिया गया है. इस निर्णय का क्रियान्वयन पुलिस की मदद से किया जाएगा.

प्रश्नपत्रिका लीक होना, नकल सामग्री का आदान-प्रदान या बाहर से मदद पहुंचाने जैसे मामलों को रोकने के लिए ये कदम उठाए गए हैं. मंडल के निदेर्शों के अनुसार जिला स्तर पर प्रशासन को जेरॉक्स दुकानें बंद रखने के स्पष्ट आदेश दिए गए हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी.

परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पर नियंत्रण रखने के लिए शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र राज्य-स्तरीय सतर्कता समिति गठित की गई है. इसमें सभी परीक्षा क्षेत्रों के विशेष पुलिस अधिकारी शामिल रहेंगे और उनके मार्गदर्शन में जिला-स्तरीय टीमें कार्यरत रहेंगी.

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी पथक प्रत्येक केंद्र पर आवश्यक सुविधाओं और सीसीटीवी के कार्यरत होने की जांच करेंगे. संवेदनशील और उपद्रवी माने गए परीक्षा केंद्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा. ऐसे केंद्रों पर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के साथ-साथ ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी तथा जिला प्रशासन के नियंत्रण कक्ष से सीधा निरीक्षण किया जाएगा.

प्रश्नपत्रिकाओं के परिवहन और उत्तरपत्रिकाओं के संकलन के लिए शासकीय वाहनों का उपयोग अनिवार्य किया गया है और पुलिस बंदोबस्त तैनात रहेगा. इसके अलावा अचानक जांच के लिए उड़नदस्ते और स्थायी पथक नियुक्त किए जाएंगे, जिनमें कम से कम एक महिला प्रतिनिधि का होना अनिवार्य रहेगा. बाहरी हस्तक्षेप रोकने के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं.

... तो संज्ञेय व गैर-जमानती अपराध होंगे दर्ज

गैरप्रकारों पर अंकुश लगाने के लिए महाराष्ट्र प्रतिबंधक गैरप्रकार अधिनियम, 1982 का सख्ती से पालन किया जाएगा. नकल या अन्य किसी भी प्रकार के गैरप्रकार करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध दर्ज किए जाएंगे. प्रशासन ने विश्वास जताया है कि मंडल द्वारा की गई इन समग्र उपाययोजनाओं के कारण इस वर्ष की परीक्षाएं अधिक अनुशासित और नकल-मुक्त वातावरण में संपन्न होंगी.

बार कौन्सिल ने किया पार्षद सोनाली नाईक का सम्मान

निर्वाचित होने पर दी शुभकामनाएं

प्रतिनिधि/ प्रतिदिन अखबार अमरावती, 9 फरवरी- प्रभाग क्र.7 से निर्वाचित हूई पार्षद सोनाली सचिन नाईक को जिला वकील संघ द्वारा सम्मानित किया गया. मनपा चुनाव में जीत हासिल करने पर वकील संघ के अध्यक्ष एड. सुनिल देशमुख ने सोनाली नाईक को शुभकामनाएं दी. इस अवसर पर उपाध्यक्ष एड. आशीष लांडे, सचिव एड. अमोल मुरड, एड. विद्या काले, एड. ऋषिकेश उपाध्याय, एड. सुमित शर्मा, एड.अक्षय बेले, एड. नेताम मल्ला, एड. विशाखा तायडे, एड. पुनम पाटील आदि उपस्थित थे.